

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० 237
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्राथीक एवं शुद्ध कर की जमाबंदी के अन्तर्गत 2023 के खाली के नाम सेवन के सम्बन्ध में अंशमाली दर्ज है, जो प्राथीक एवं शुद्ध कर के अन्तर्गत 2023 अंशमाली शुद्ध किया जावे। उन्हे ही

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, गुडागौड़जी
 दिनांक :- 08/5/23

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आयदा का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराया की जाती है / नहीं की जाती है।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

08/5/23
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी
 उप तहसील गुडा (शुद्ध)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 8/5/23

81
 8/5/2023

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अन्तर्गत निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को राउट रिफाई में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | जमाबन्दी संवत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिफाई में दर्ज की जावे है।) |
|---------|----------|----------------|-------------|----------------------------|---|
| 1. | गुडागौड़ | 20578 | 397 | रामनाथ शंकर | शुद्ध रामनाथ शंकर |

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहना हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रिफाई पालना की जावे।

08/5/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी 8/5/23

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 59

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुडागौड़जी को वास्ते पलनार्थ।
2. प्राथी/प्राथीया



08/5/23
 उपखण्ड अधिकारी,
 प्रभारी अधिकारी
 प्रशासन गाँवों के संग अभियान - 2023
 उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी